संख्या-4/2016/479/71-आयुष-2-2016-35(बी0)/2014

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाईटी,
लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक 04 मार्च, 2016

विषयः- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहान, अल्मोडा, उत्तराखण्ड को उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों की आपूर्ति हेतु 50 प्रतिशत अग्रिम धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-38/मि0नि0 दिनॉक 29-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल, कार्पोरेशन लि0 मोहान, अल्मोडा, उत्तराखण्ड, जो भारत सरकार का उपक्रम है, को राष्ट्रीय आयुष मिशन योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयुष औषधियों (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) की आपूर्ति हेतु आप द्वारा प्रस्तावित 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की धनराशि रू0-11,55,50,000/- (रूपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख पचास हजार मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983 एवं संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तो के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनॉक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व मिशन निदेशालय का होगा।
2- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।
3- क्रय की जाने वाली औषधियों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व मिशन निदेशालय का होगा।
4- मिशन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि औषधियों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक नहीं होगा।
5- आपूर्तिकर्ता फर्म को अग्रिम का भुगतान समयबद्ध आपूर्ति किये जाने की अण्डरटेकिंग लिए जाने के पश्चात ही किया जायेगा।
6- अग्रिम धनराशि का समयोजन दिनॉक 31 मार्च, 2016 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-एफ0ए-1-96/दस-2016 दिनॉक 04 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव।

क्रमश पृष्ठ-2

संख्या:- 4/2016/479(1)/71-आयुष-2-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- इण्डियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कार्पोरेशन लि0 मोहान रोड, अल्मोडा, उत्तराखण्ड द्वारा मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाईटी, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम प्रकाश नारायण)
अनु सचिव।